(वाद संख्या–6045/17)

13.12.2019

परिवादी, शिव शंकर साहु, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, साहु संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, करहिया, ग्राम+पोस्ट–रतौली, जिला–सुपौल उपस्थित हैं।

जिला पदाधिकारी, सुपौल की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, श्री योगेश मिश्र, उपस्थित हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी, श्री साहु उपरोक्त कथित संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पर कार्यरत थे तथा दिनांक–31.01.2018 को 62 वर्ष की उम्र पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुए। परिवादी की ओर से अपने सेवाकाल में मार्च, 2016 से अपने सेवानिवृत्ति की तिथि (31.01.2018) तक के बकाया वेतन तथा बर्द्धित मंहगाई भत्तों के कुछ बकाया किस्तों के भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी को प्रसंगाधीन विद्यालय के प्रबंध समिति के विवाद के कारण मार्च, 2016 से 31.01.2018 तक के बकाया वेतन तथा बर्द्धित मंहगाई भत्तों का भुगतान नहीं हो पाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उपरोक्त अवधि में श्री साहु द्वारा नियमित रूप से प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन किया गया है तथा उन पर सरकार का कोई राशि पावना नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल का अंत में कथन है कि चूंकि परिवादी द्वारा अपने सेवानिवृत्ति के उपरान्त, विद्यालय के पंजी/अभिलेख को अपने उत्तराधिकारी प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री ललन झा को नहीं उपलब्ध कराया गया, इस कारण उन्हें उपरोक्त बकाया वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान नहीं हो पाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल की ओर से आयोग के समक्ष बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के संचिका सख्या–04/विधि/478/2019 के अन्तर्गत दिनांक–06.12.2019 को पारित ओदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसमें बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ परिवादी के उपरोक्त कथित बकाया वेतन व अन्य भत्तों के भुगतान करने का आदेश दिया गया है कि परिवादी, संबंधित विद्यालय की पंजी/अभिलेख को अपने उत्तराधिकारी श्री ललन झा, प्रभारी प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराने के बाद ही उन्हें बकाया वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाये।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से उपरोक्त बकाया वेतन व भत्तों के भुगतान हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC N0.- 9422/2019 दाखिल किया गया था जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–24.07.2019 को इस शर्त के साथ निष्पादित कर दिया गया कि परिवादी द्वारा, अपने शिकायतों के संबंध में संबंधित प्राधिकारों के समक्ष, आदेश पारित होने के चार सप्ताह के अन्दर अभ्यावेदन दिया जायेगा तथा उक्त संबंधित प्राधिकारों द्वारा, आदेश पारित होने के आठ सप्ताह के अन्दर, परिवादी के अभ्यावेदन का निष्पादन किया जायेगा।

अब, जबकि प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी द्वारा मार्च, 2016 से अपने सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक–31.01.2018 तक प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन किया गया है तथा उक्त अवधि का वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है तथा सेवाकाल का उन पर सरकारी राशि के गबन का कोई जांच/अभियोग लंबित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी मार्च, 2016 से अपने सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक–31.01.2018 तक के वेतन व अन्य भत्तों को पाने के अधिकारी है। जहांतक विद्यालय के पंजी/अभिलेख को वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक को नहीं सौंपने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी के विरूद्ध संबंधित प्राधिकार द्वारा वैधानिक/कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उक्त आधार पर परिवादी के बकाया वेतन व अन्य भत्तों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त लंबित रखा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अगली निश्चित तिथि दिनांक–28.01.2020 के पूर्व परिवादी के उपरोक्त बकाया वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित कर, उक्त के संबंध में आयोग को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

आज उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। आज पारित आदेश की प्रति परिवादी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को उनके E-mail:deosupaul.edn1@gmail.com पर दे दी जाय।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–28.01.2020 को उपस्थापित किया जाय। उक्त तिथि को परिवादी अगर चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक